



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042020-219250
CG-DL-E-30042020-219250

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1256]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2020/वैशाख 10, 1942

No. 1256]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2020/VAISAKHA 10, 1942

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2020

का.आ. 1404(अ).— विध्वंसक कीट एवं नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

- लघु शीर्ष और प्रारंभ – (1) यह आदेश पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2020 कहा जाएगा।
(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- “विमानपत्तन” शीर्षक के तहत क्रम सं. 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) की अनुसूची I में निम्नलिखित प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी अर्थात् :

विमानपत्तन
24. कन्नूर (केरल)

3. अनुसूची VI में संशोधन – पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन), आदेश 2003 की अनुसूची VI में

(i) काफिया सप्प (काँफी और रूबिएकी से संबंधित किस्मों) से संबंधित क्रम संख्या 90 के सामने कॉलम (6) के सामने मौजूदा प्रविष्टियों में निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात् :

आयात की विशिष्ट शर्तें
(6)
(i) 21 ⁰ से. या उससे अधिक या समकक्ष 24 घण्टों के लिए पर मिथाइल ब्रोमाइड धूमन @ 32 ग्राम/मी ³ अथवा (ii) ऐसे देशों जिन्होंने क्यूपीएस उद्देश्य हेतु मिथाइल ब्रोमाइड धूमन की उपयोग को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया है हेतु 7 दिनों के लिए एनएपी पर फॉसफाईन के साथ धूमन @3 ग्राम/एमटी

(ii) हारडियम एसपीपी (जौ) से संबंधित क्रम संख्या 171 और माल्टिंग के लिए (iii) खाद्यान्न से संबंधित प्रविष्टियों के सामने कालम (3) में, कालम (4) के लिए प्रविष्टि को मद (i) के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा और इस प्रकार अंकित प्रविष्टि मद (i) और कालम (4), (5) और (6) से संबंधित प्रविष्टियों के बाद क्रमशः निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

मूल देश	फाइटोसैनेटरी सर्टिफिकेट में अपेक्षित अतिरिक्त घोषणाओं को शामिल किया जाएगा	आयात की विशिष्ट शर्तें
(4)	(5)	(6)
(ii) ऑस्ट्रेलिया	निम्न से मुक्त: (क) एरगोट (क्लैविस पुरपुरिया) (ख) ग्रैनरी वीविल (साइटोफिलस ग्रैनरियस)	(i) एनएपी पर 21 ⁰ से. या उससे अधिक पर मिथाइल ब्रोमाइड धूमन @ 32 ग्राम/मी ³ अथवा (ii) 25 ⁰ से. या उससे अधिक पर 7 दिनों और 15 - 25 ⁰ से. पर 10 दिनों की उजागर अवधि के साथ फॉसफाईन धूमन @ 2 ग्राम/मी ³ उपचार की पुष्टि फाइटोसैनेटरी सर्टिफिकेट पर पृष्ठांकन किया जाना चाहिए।

(iii) पाम फलों से संबंधित क्रम संख्या 262 के सामने प्रविष्टि (ii) से संबंधित "मैलूस डामेस्टिका (सेब) के सामने कालम 2 में और खपत के लिए ताजे फलों से संबंधित कालम 3 एवं मद (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद कालम 4 में क्रमशः कालम (4), (5) और (6) को अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात्:

(4)	(5)	(6)
(viii) सर्बिया	निम्न से मुक्त: (क) अकुलस स्केलेक्टेंडली (एप्पल रस्ट माइट) (ख) एडोक्सोफिस ओराना (गर्मियों में फल यातना) (ग) सेराटाइटिस कैपिटाटा (मेडिटेरियन फल मक्खी) (घ) साइडिया पोमनेला (कोडिंग मोथ) (ङ) एरविनिया अमाइलोवोरा (फायरबाइट)	(i) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेराटाइटिस कैपिटाटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई), ग्राफोलिता इनोपिनाटा (मंचूरियन फल कीट) और ग्राफोलिता मोलेस्टा (ओरिएंटल फल कीट) के लिए कीट मुक्त स्थिति अथवा (ख) एनएपी अथवा उसके समतुल्य में 21 ⁰ से. अथवा सेराटाइटिस कैपिटाटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई), ग्राफोलिता इनोपिनाटा (मंचूरियन फल कीट) और ग्राफोलिता मोलेस्टा (ओरिएंटल फल कीट) पर उसके समकक्ष 2 घण्टों के लिए मैथाइल

	(च) लैकनोबिया ओलेरासिया (उज्ज्वल-लाइन ब्राउन आई मोथ) (छ) ऑर्थोसिया सेरासी (सामान्य क्रेकर) (ज) फाइटोफथोरा क्रिप्टोजिया (टमाटर पैर सड़ांध) (झ) ग्रेफोलिता इनोपिनाटा (मंचूरियन फ्रूट मोथ) (ञ) ग्राफोलिता मोलेस्टा (ओरिएंटल फ्रूट मोथ) (ट) ऑस्ट्रिनिया नूबिलालिस (यूरोपीय मक्का बोरर) (ठ) महामारी हेपराना (एप्पल ब्राउन टोट्रिक्स) (ड) मोनिलिया पॉलीस्ट्रोमा (एशियाई भूरे रंग की सड़ांध) (ढ) वेंदुरिया पाइरीना (नाशपाती का काला स्थान)	ब्रोमाईड भूमिकरण 32 जी/एम³ अथवा (ii) 10 दिनों के लिए 0⁰ से. अथवा इससे नीचे लदानपूर्व/मार्गीय शीत उपचार; 11 दिनों के लिए 0.55⁰ से. अथवा इससे नीचे; 12 दिनों+मार्गीय शीतलन हेतु 1.1⁰ से अथवा इससे नीचे के सम्मुख सेराटाइटिस कैपिटाटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई), ग्राफोलिता इनोपिनाटा (मंचूरियन फल कीट) और ग्राफोलिता मोलेस्टा (ओरिएंटल फल कीट) उपचार की पुष्टि मूल / पुनः निर्यात के देश में जारी किए गए फाइटोसैनेटरी सर्टिफिकेट पर की जानी चाहिए।
--	--	---

(iv) पाम फलों (सेब, नाशपाती और किंवस) के संबंध में क्रम संख्या 262, खपत के लिए ताजे फलों के संबंध में प्रविष्टि (3) के सामने कालम (3) और (i) आस्ट्रेलिया से संबंधित प्रविष्टियों के सामने कालम (6) में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा अर्थात्:-

आयात की विशेष शर्तें
(6)
(i) अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बेक्ट्रोसेरा ट्राईओनी के लिए कीट मुक्त स्थिति (क्वींस लैंड फ्रूट फ्लाई और सेराटाइटिस कैपिटाटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई) अथवा (ii) 10 दिनों के लिए 0⁰ से. अथवा इससे नीचे लदानपूर्व/मार्गीय शीत उपचार ; 11 दिनों के लिए 0.55⁰ से. अथवा इससे नीचे भूमध्य सागरीय फ्रूट फ्लाई के सापेक्ष ; 12 दिनों+मार्गीय शीतलन हेतु 1.1⁰ से अथवा इससे नीचे और 13 दिनों के लिए 0.25⁰ से. अथवा इससे नीचे ; 14 दिनों के लिए 0.55⁰ से अथवा इससे नीचे ; क्वींस लैंड फ्रूट फ्लाई के संबंध में 18 दिनों+मार्गीय शीतलन हेतु 1.1⁰ से अथवा इससे नीचे

(v) गुठलीदार फलों (बेर, आड़ू, चेरी, खूबानी, बादाम, अमृत (नेक्ट्राइन) (पूनस सप) से संबंधित क्रम संख्या 293 के सामने, खपत के लिए (iv) ताजे फलों से संबंधित प्रविष्टियों के सामने कालम (iii) और कालम (iv) में प्रविष्टि को मद (i) के रूप में अंकित किया जाएगा और इस प्रकार से अंकित मद (i) और कालम (iv), (v) और (vi) में संबंधित प्रविष्टियों के बाद क्रमशः निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

(4)	(5)	(6)
(ii) ऑस्ट्रेलिया	निम्न से मुक्त: (क) ओरिएंटल फ्रूट मोथ (सिडिया मोलेस्टा) (ख) जिप्सी कीट (लाइमांट्रिया डिस्पर)	(i) अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बेक्ट्रोसेरा ट्राईओनी के लिए कीट मुक्त स्थिति (क्वींस लैंड फ्रूट फ्लाई और सेराटाइटिस कैपिटाटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई)

	(ग) भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई (सेराटाइटिस कैपिताटा) (घ) मंचूरियन फ्रूट मोथ (सीडिया इनोपिनाटा) (ङ) चेरी फल कीड़ा (सिडिया पकारडी) (च) प्लम मोथ (सिडिया प्रूनीवोरा) (छ) चेरी फल मक्खी (रगोलेटिस सप्प) (ज) आड़ू फ्रूट मोथ (कारपोसिना निपोनोसिस) (झ) क्वींसलैंड फल मक्खी (बैक्ट्रोसेरा ट्रायोनी)	अथवा (ख) एनएपी में 21⁰ से. अथवा उससे ऊपर अथवा चैरी फ्रूट फ्लाई और भू-मध्यीय सागरीय फ्रूट फ्लाई पर उसके समकक्ष 2 घण्टों के लिए मैथाईल ब्रोमाईड भूमिकरण 32 जी/एम³ अथवा (ii) 10 दिनों के लिए 0⁰ से. अथवा इससे नीचे लदानपूर्व/मार्गीय शीत उपचार ; 11 दिनों के लिए 0.55⁰ से. अथवा इससे नीचे भू-मध्य सागरीय फ्रूट फ्लाई के सापेक्ष ; 12 दिनों+मार्गीय शीतलन हेतु 1.1⁰ से अथवा इससे नीचे और 13 दिनों के लिए 0.25⁰ से. अथवा इससे नीचे ; 14 दिनों के लिए 0.55⁰ से अथवा इससे नीचे ; क्वींस लैंड फ्रूट फ्लाई के संबंध में 18 दिनों+मार्गीय शीतलन हेतु 1.1⁰ से अथवा इससे नीचे
--	---	---

(vi) विटिस वेनिफेरा (अंगूर) के संबंध में क्रम संख्या 319, खपत के लिए ताजे फलों के संबंध में प्रविष्टि (iii) के सामने कालम (3) और (ii) आस्ट्रेलिया से संबंधित प्रविष्टियों के सामने कालम (6) में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा अर्थात्:-

आयात की विशेष शर्तें
(6)
(क) अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बैक्ट्रोसेरा ट्राईओनी के लिए कीट मुक्त स्थिति (क्वींस लैंड फ्रूट फ्लाई) और सेराटाइटिस कैपिताटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई) अथवा (ख) एनएपी में 21⁰ से. अथवा उससे ऊपर अथवा भू-मध्यीय सागरीय फ्रूट फ्लाई और क्वींस लैंड फ्रूट फ्लाई पर उसके समकक्ष 2 घण्टों के लिए मैथाईल ब्रोमाईड भूमिकरण 40 जी/एम³ अथवा (ग) 10 दिनों के लिए 0⁰ से. अथवा इससे नीचे लदानपूर्व/मार्गीय शीत उपचार; 11 दिनों के लिए 0.55⁰ से. अथवा इससे नीचे; भू-मध्य सागरीय फ्रूट फ्लाई के सापेक्ष 12 दिनों+मार्गीय शीतलन हेतु 1.1⁰ से अथवा इससे नीचे और 13 दिनों के लिए 0⁰ से. अथवा इससे नीचे; 14 दिनों के लिए 0.55⁰ से अथवा इससे नीचे; क्वींस लैंड फ्रूट फ्लाई के संबंध में 18 दिनों+मार्गीय शीतलन हेतु 1.1⁰ से अथवा इससे नीचे

[फा. सं. 8-17/2019-पीपी-II]

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : पौध संगरोध (भारत के आयात का विनियमन), आदेश, 2003 को 18 नवम्बर, 2003 के का.आ. 1322 (अ) में प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी, 2004 के का.आ. 167 (अ), 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427 (अ), 31 मई, 2004 के का.आ. 644 (अ), 25 फरवरी, 2005 के का.आ. 263 (अ), 31 मार्च, 2005 के का.आ. 462 (अ), 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121 (अ), 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353 (अ), 31 अक्टूबर, 2006 के का.आ. 1873 (अ), 6 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074 (अ), 3 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069 (अ), 1 जनवरी, 2008 के का.आ. 3 (अ), 8 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847 (अ), 15 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2888 (अ), 9 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286 (अ), 16 सितम्बर, 2009 के

का.आ. 2390 (अ), 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269 (अ), 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298 (अ), 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907 (अ), 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095 (अ), 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 2284 (अ), 11 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2516 (अ), 4 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711 (अ), 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052 (अ), 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887 (अ), 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845 (अ), 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296 (अ), 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775 (अ), 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799 (अ), 28 मई, 2013 के का.आ. 1378 (अ), 14 जून, 2013 के का.आ. 1531 (अ), 26 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2919 (अ), 13 जून, 2014 के का.आ. 1508 (अ), 27 जून, 2014 के का.आ. 1632 (अ), 12 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2320 (अ), 29 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2542 (अ), 11 नवम्बर, 2014 के का.आ. 2879 (अ), 10 दिसम्बर, 2014 के का.आ. 3114 (अ), 26 मई, 2015 के का.आ. 1413 (अ), 15 सितम्बर, 2015 के का.आ. 2496 (अ), दिनांक 13 जनवरी, 2016 के का.आ. 101 (अ), 7 मार्च, 2016 के का.आ. 608 (अ), दिनांक 25 मई, 2016 के का.आ. 1873 (अ), दिनांक 20 जून, 2016 के का.आ. 2192 (अ) दिनांक 29 जून, 2016 के का.आ. 2248 (अ), दिनांक 05 जुलाई, 2016 के का.आ. 2453(अ), दिनांक 5 अगस्त, 2016 के का.आ. 2614(अ) एवं दिनांक 12 जनवरी, 2017 के का.आ. 264(अ), दिनांक 3 फरवरी, 2017 के का.आ. 364 (अ.), दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के का.आ. 1344 (अ.), दिनांक 8.05.2017 के का.आ. 1475 (अ), दिनांक 21.06.2017 के का.आ. 2019 (अ), दिनांक 6.07.2017 के का.आ. 2152(अ), दिनांक 23.08.2017 के का.आ. 2752(अ) और दिनांक 06.10.2017 के का.आ. 3293(अ) और दिनांक 7 नवम्बर, 2017 के का.आ. 3556 और दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के का.आ. 4082 (अ) तथा दिनांक 20 मार्च, 2018 के का.आ. 1248 (अ), दिनांक 10 मई, 2018 के का.आ. 1873 (अ), दिनांक 15 मई, 2018 के का.आ. 1930, दिनांक 24 मई, 2018 के का.आ. 2059 (अ), दिनांक 4 जून, 2018 के का.आ. 2286 (अ) और दिनांक 29 जून, 2018 के का.आ. 3194 (अ), दिनांक 10 जुलाई, 2018 के का.आ. 3392 (अ) और दिनांक 16 अगस्त, 2018 के का.आ. 3998 (अ) और दिनांक 3 अक्टूबर, 2018 के का.आ. 5158 (अ) और दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के का.आ. 3830 (अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 के का.आ. 6224 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2019 के का.आ. 941(अ), दिनांक 6 मई, 2019 के का.आ. 1728(अ), दिनांक 24 मई, 2019 के का.आ. 1817(अ), दिनांक 11.06.2019 के का.आ. 1954 (अ), दिनांक 15 जुलाई, 2019 के का.आ. सं. 2525 (अ) और दिनांक 18 जुलाई, 2019 के का.आ. सं. 2603 (अ), और दिनांक 29 अगस्त, 2019 के का.आ. सं. 3141 (अ) और दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 के का.आ. सं. 3594 (अ) और 24 अक्टूबर, 2019 के का.आ. सं. 3845 (अ) और दिनांक 8 नवम्बर, 2019 के का.आ. सं. 4083 (अ) और दिनांक 21 दिसम्बर, 2019 के का.आ. सं. 4615 (अ) और दिनांक 24 जनवरी, 2020 के का.आ. सं. 352 (अ), दिनांक 31 जनवरी, 2020 के का.आ. सं. 488 (अ), 2 मार्च, 2020 के का.आ. सं. 953 (अ) के माध्यम से संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2020

S.O. 1404(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:-

- Short title and Commencement.**—(1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Fourth Amendment) Order, 2020.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- In Schedule I of the Plant Quarantine (Regulation of import into India) Order, 2003, under the heading “Airports”, after serial number 23 and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be added, namely:-

Airports
24. KANNUR (Kerala)

3. Amendment of Schedule VI.- In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003-

(i) Against serial No. 90, relating to *Coffea* spp. (Coffee and related species of Rubiaceae) in column (6) against the existing entries, the following item and entries shall be replaced by the following namely:

Special conditions of import
(6)
(i) Fumigation with Methyl Bromide @ 32 g/m ³ for 24 hrs at 21°C and above or equivalent or (ii) Fumigation with Phosphine @ 3 g/MT at NAP for 7 days for countries that have phased out usage of Methyl bromide fumigation for QPS purposes.

(ii) Against serial number 171, relating to *Hordeum* spp. (Barley), in column (3) against the entries relating to (iii) 'Grains for Malting', in column (4) the entry shall be re-numbered as item (i) thereof and after item (i) as so re-numbered and the entries relating thereto in columns (4), (5) and (6), the following item and entries shall respectively be inserted namely:-

Country of origin	Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary certificate	Special conditions of import
(4)	(5)	(6)
(ii) Australia	Free from: (a) Ergot (<i>Claviceps purpurea</i>) (b) Granary weevil (<i>Sitophilus granarius</i>)	(i) Fumigation with Methyl Bromide @ 32 g/m ³ at 21°C or above under NAP or (ii) Fumigation with Phosphine @ 2 g/M ³ with an exposure period of 7 days at 25°C or above and 10 days at 15-25°C. The details of the treatment to be endorsed on the Phytosanitary Certificate.

(iii) Against serial number 262, relating to Pome fruits, in column (2) against the entry (ii) regarding '*Malus domestica* (Apple)', in column(3) regarding 'Fresh fruits for consumption, in column (4) after item (vii) and the entries relating thereto, the following entries in columns (4), (5) and (6) shall respectively be inserted, namely:

(4)	(5)	(6)
(viii) Serbia	Free from: (a) <i>Aculus schlechtendali</i> (Apple rust mite) (b) <i>Adoxophyes orana</i> (summer fruit tortrix) (c) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (d) <i>Cydia pomonella</i> (codling moth)	Pest free status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly), <i>Grapholita inopinata</i> (Manchurian fruit moth) and <i>Grapholita molesta</i> (Oriental fruit moth) as per international standards. or Methyl Bromide fumigation @ 32 g/m ³ for 2hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against <i>Ceratitis capitata</i>

(e) <i>Erwinia amylovora</i> (fireblight) (f) <i>Lacanobia oleracea</i> (bright-line brown eye moth) (g) <i>Orthosia cerasi</i> (common quaker) (h) <i>Phytophthora cryptogea</i> (tomato foot rot) (i) <i>Grapholita inopinata</i> (Manchurian fruit moth) (j) <i>Grapholita molesta</i> (Oriental fruit moth) (k) <i>Ostrinia nubilalis</i> (European maize borer) (l) <i>Pandemis heparana</i> (Apple brown totrix) (m) <i>Monilia polystroma</i> (Asiatic brown rot) (n) <i>Venturia pyrina</i> (black spot of pear)	(Mediterranean fruit fly), <i>Grapholita inopinata</i> (Manchurian fruit moth) and <i>Grapholita molesta</i> (Oriental fruit moth). or Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against <i>Ceratitidis capitata</i> (Mediterranean fruit fly), <i>Grapholita inopinata</i> (Manchurian fruit moth) and <i>Grapholita molesta</i> (Oriental fruit moth). The treatment should be endorsed on Phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export.
--	---

(iv) Against serial number 262, relating to Pome fruits (Apple, Pear and Quince), in column (3) against the entry (iii) regarding 'Fresh fruits for consumption, against entries relating to (i) Australia, the following entries in column (6) shall respectively be replaced, namely:

Special conditions of import
(6)
(i) Pest free status for <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) and <i>Ceratitidis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (ii) Pre-shipment/ in-transit cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against Queensland fruit fly.

(v) Against serial number 293 relating to **Stone fruits (Plum, peach, cherry, apricot, almond, nectarine)(Prunus spp.)**, in column (3) against the entries relating to (iv) 'Fresh fruits for consumption', in column (4) the entry shall be re-numbered as item (i) thereof and after item (i) as so re-numbered and the entries relating thereto in columns (4), (5) and (6), the following item and entries shall respectively be inserted namely:-

(4)	(5)	(6)
(ii) Australia	Free from: a) Oriental fruit moth (<i>Cydia molesta</i>) b) Gypsy moth (<i>Lymantria dispar</i>)	(a) Pest free status for <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) and <i>Ceratitidis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards.

	c) Mediterranean fruit fly (<i>Ceratitis capitata</i>) d) Manchurian fruit moth (<i>Cydia inopinata</i>) e) Cherry fruit worm (<i>Cydia packardi</i>) f) Plum moth (<i>Cydia prunivora</i>) g) Cherry fruit fly (<i>Rhagoletis spp.</i>) h) Peach fruit moth (<i>Carposina niponensis</i>) i) Queensland fruit fly (<i>Bactrocera tryoni</i>)	or (b) Methyl bromide fumigation 32 g/m ³ for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Cherry fruit flies and Mediterranean fruit fly or (b) Pre-shipment / in-transit cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in transit refrigeration against Queensland fruit fly.
--	---	---

(vi) Against serial number 319, relating to *Vitis vinifera* (Grape), in column (3) against the entry (iii) regarding 'Fresh fruits for consumption, against entries relating to (ii) Australia, the following entries in column (6) shall respectively be replaced, namely:

Special conditions of import
(6)
(a) Pest free status for <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) and <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Methyl Bromide fumigation @ 40 g/m ³ for 2hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly and Queensland fruit fly or (c) Pre-shipment/ in-transit cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against Queensland fruit fly.

[F. No. 8-17/2019-PP.II]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy.

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O.167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October 2006, S.O. 2074 (E), dated 6th December 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 1st January, 2008, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711 (E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E) dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845 (E) dated 21st December, 2011, S.O. No.296 (E) dated 17th February, 2012, S.O. 2775(E) 23rd November, 2012 S.O.799(E) dated 21st March, 2013,

S.O.1378(E) dated 28th May, 2013, S.O.1531(E) dated 14th June, 2013, S.O.2919(E) dated 26th September, 2013, S.O.1508(E) dated 13th June, 2014, S.O. No.1632(E) dated 27th June, 2014, S.O. No.2320(E) dated 12th September, 2014, S.O. No. 2542(E) dated 29th September, 2014, S.O. No.2879(E) dated 11th November, 2014, S.O. No. 3114(E) dated 10th December, 2014, S.O. No. 1413(E) dated 26th May, 2015, S.O. No. 2496(E) dated 15th September, 2015, S.O. No. 101(E) dated 13th January, 2016, S.O. No. 608(E) dated 7th March, 2016 S.O. No.1873(E) dated 25th May, 2016, S.O. No. 2192(E) dated 20th June, 2016, S.O. No. 2248(E) dated 29th June, 2016, S.O. No. 2453(E) dated 5th July, 2016, S.O. No. 2614(E) dated 5th August, 2016 and S.O. No. 264(E) dated 12th January, 2017, S.O. No. 364(E) dated 3rd February, 2017, S.O. 1344 (E) dated 27th April, 2017, S.O. 1475 (E) dated 8th May, 2017, S.O. 2019 (E) dated 21st June, 2017 and S.O. 2152 (E) dated 6th July, 2017 and S.O. No. 2752 (E) dated 23rd August, 2017, S.O. No. 3293(E) dated 6th October, 2017, S.O. No.3556(E) dated 7th November, 2017 and S.O. No. 4082(E) dated 27th December, 2017, S.O. No. 1248(E) dated 20th March, 2018, S.O. No. 1873(E) dated 10th May, 2018, S.O. No.1930 dated 15th May, 2018, S.O. No. 2059(E) dated 24th May, 2018, S.O. No. 2286(E) dated 4th June, 2018 and S.O. No. 3194(E) dated 29th June, 2018, S.O. No. 3392(E) dated 10th July, 2018, S.O. No. 3998(E) dated 16th August, 2018, S.O. No. 5158(E) dated 3rd October, 2018 and S.O. No. 5830(E) dated 22nd November, 2018 and S.O. No. 6224(E) dated 18th December, 2018, S.O. No.941(E) dated 19th February, 2019 and S.O. No. 1728(E) dated 6th May, 2019, S.O. No. 1817(E) dated 24th May, 2019, S.O. No.1954(E) dated 11.06.2019, S.O. No. 2525(E) dated 15th July, 2019 and S.O. No.2603 (E) dated 18th July, 2019 and S.O. No. 3141(E) dated 29th August, 2019; S.O. No. 3594(E) dated 1st October, 2019 and S.O. No. 3845(E) dated 24th October, 2019 and S.O. No. 4083(E) dated 8th November, 2019 and S.O. 4615 (E) dated 21st December, 2019 and S.O. 352 (E) dated 24th January, 2020 S.O. 488 (E) dated 31st January, 2020 S.O. 953 (E) dated 2nd March, 2020